

ज्दालय श्रीमान् म०प्र० राजस्व मण्डल गवालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)



1. छोटेलाल चतुर्वेदी
2. रामाश्रय चतुर्वेदी दोनो के पिता श्री केदार प्रसाद चतुर्वेदी
3. श्रीमती केशकली पत्नी अयोध्या प्रसाद
4. अनुज प्रसाद तनय श्री अयोध्या प्रसाद
5. धर्मेन्द्र प्रसाद तनय श्री अयोध्या प्रसाद सभी निवासी ग्राम मैहर रोड

कोलान मोहल्ला के पीछे अमरपाटन जिला सतना (म०प्र०)

-----आवेदकगण

बनाम्

कुन्ज बिहारी चतुर्वेदी

2. रामनरेश चतुर्वेदी दोनो के पिता श्री केदार प्रसाद चतुर्वेदी सभी निवासी ग्राम मैहर रोड कोलान मोहल्ला के पीछे अमरपाटन जिला सतना (म०प्र०)

-----अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर  
कमिश्नर रीवा संभाग रीवा लिंक कोर्ट  
सतना सीधी म०प्र० बाबत् राजस्व  
प्रकरण क्रमांक- 984/अपील/16-17  
आदेश दिनांक 29/8/2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश  
भू-राजस्व संहिता सन् 1959ई०।


(18)  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0-5459/2018/सतना/भू-रा0

जिला-सतना

छोटेला चतुर्वेदी/ कुन्जबिहारी चतुर्वेदी

(3)

(1)	(2)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री त्रिभुवन प्रसाद चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 984/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 05.09.18 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>